राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 85 / 2025
निर्णय दिनांकः 22.01.2026
जीसीएमएस सं0ः 2025 / 292
दायर दिनांकः 13.06.2025

1. कैलाश कंवर पुत्री बगसुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री विजेन्द्रसिंह।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीनी द्वारा दावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 138 तादादी 1.3909 है0, खसरा संख्या 196 तादादी 4.8556 है0, खसरा संख्या 493 तादादी 1.3783 है0, खसरा संख्या 494 तादादी 1.2265 है0, ख0सं0 495 तादादी 4.5648 है0, ख0नं0 517 तादादी 0.5058 है0, ख0नं0 522 तादादी 0.3034 है0 वादीनी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी के नाम छोटूकंवर पुत्री बगसुसिंह दर्ज है जबकि वादीनी का वास्तविक नाम कैलाशकंवर पुत्री बगसुसिंह है। वादीनी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, परिचय पत्र आदि समस्त दस्तावेजों में वादीनी का नाम कैलाशकंवर पुत्री बगसुसिंह अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादीनी की खातेदारी भूमि में वादीनी का नाम दुरस्त करवाना वादीनी के लिए आवश्यक है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादी का खेत रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छोटू कंवर है जबकि अन्य दस्तावेजों में कैलाशकंवर अंकित है। छोटुकंवर व कैलाशकंवर एक ही महिला है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छोटूकंवर पुत्री बगसुसिंह की बजाय कैलाशकंवर पुत्री बगसुसिंह दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि में वादीनी का नाम कैलाशकंवर अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़, फर्द मौका दि0 19.01.2026 तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा संख्या 138 तादादी 1.3909 है0, खसरा संख्या 196 तादादी 4.8556 है0, खसरा संख्या 493 तादादी 1. 3783 है0, खसरा संख्या 494 तादादी 1.2265 है0, ख0सं0 495 तादादी 4.5648 है0, ख0नं0 517 तादादी 0.5058 है0, ख0नं0 522 तादादी 0.3034 है0 में दर्ज खातेदार का नाम छोटूकंवर के स्थान पर कैलाशकंवर दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

<u>डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई</u>

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

कैलाशकंवर बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक, कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड एवं कृषि विभाजन

मुकदमा न0 85 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री विजेन्द्रसिंह एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही साण्डन तहसील सुजानगढ़ में खेत खसरा संख्या 138 तादादी 1.3909 है0, खसरा संख्या 196 तादादी 4.8556 है0, खसरा संख्या 493 तादादी 1.3783 है0, खसरा संख्या 494 तादादी 1.2265 है0, ख0सं0 495 तादादी 4.5648 है0, ख0नं0 517 तादादी 0.5058 है0, ख0नं0 522 तादादी 0.3034 है0 में दर्ज खातेदार का नाम छोटूकंवर के स्थान पर कैलाशकंवर दर्ज किया जावे। अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 **माह 01 2026**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

दस्तखत **उपखण्ड अधिकारी**

ओहदा **सुजानगढ़**

खर्चा मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।